प्रेस नोट दिनांक 23.08.2026

थाना भोजीपुरा जनपद बरेली

थाना भोजीपुरा #bareillypolice द्वारा 382 ग्राम अवैध अफीम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण/परिचयः-

दिनांक 22.08.2026 की रात्रि पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त एवं चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान अटा मांडा तिराहे के पास मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति कमुआ मकरूका पुलिया के पास मंदिर के बगल से घुरसमसपुर की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर अवैध अफीम लेकर खड़ा है।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी/तलाशी की गई, जहां अभियुक्त फारुक उर्फ गंठा को समय करीब 22:30 बजे 382 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना भोजीपुरा पर एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरणः–

फारुक उर्फ गंठा पुत्र नत्थू वख्स नि0 ग्राम घुर समसपुर थाना भोजीपुरा जनपद बरेली

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 648/2026 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना भोजीपुरा जनपद बरेली

अभि0 फारुक का आपराधिक इतिहासः–

मु0अ0सं0 803/2004 धारा 4/25 ए एक्ट थाना भोजीपुरा जनपद बरेली

बरामदगी का विवरणः-

382 ग्राम अवैध अफीम

पूछताछ विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह पूर्व में भी जेल जा चुका है तथा बरामद अफीम उसने एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार से खरीदी थी। वह अफीम की छोटी-छोटी गोलियां बनाकर आने-जाने वाले लोगों को बेचता था, जिससे अपने घर का खर्च चलाता था। अभियुक्त द्वारा अपनी सफाई माननीय न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने की बात कही गई।

पुलिस टीम का विवरणः-

प्रभारी निरीक्षक कुँवर बहादुर सिंह थाना भोजीपुरा जनपद बरेली

उ0नि0 पवन कुमार थाना भोजीपुरा जनपद बरेली

उ0नि0 रंजीत सिंह थाना भोजीपुरा जनपद बरेली

हे0कां0 परमानन्द कुमार थाना भोजीपुरा जनपद बरेली

कां0 लक्की सिंह थाना भोजीपुरा जनपद बरेली